प्रेसविज्ञप्ति	दिनांक 12.01.2021

थाना गढ़ीपुख्ता

थानाक्षेत्र गढ़ीपुख्ता के ग्राम भाटू के जंगल में बरामद अज्ञात व्यक्ति की हत्या का 48 घण्टे में किया सफल अनावरण, मुख्य अभियुक्त सहित 02 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल, 02 मोबाइल व वाहन बरामद।

दिनांक 10.01.2021 को समय करीब 10:30 बजे ग्राम प्रधान भाटू श्री गौरव द्वारा थाना गढीपुख्ता पुलिस को सूचना दी गई कि ग्राम भाटू के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सतवीर के ईख के खेत में पड़ा है। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी थानाभवन व प्रभारी निरीक्षक गढीपुख्ता मय हमराह फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। तत्काल फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा किए गए अथक प्रयास से शव की शिनाख्त संजय पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम पिंडौरा जहांगीरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली उम्र करीब 34 वर्ष के रूप में हुई। फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल से सुराग एवं जानकारियां प्राप्त कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गये। मृतक के शव को बाद पंचनामा कार्यवाही के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी थानाभवन व प्रभारी निरीक्षक गढ़ीपुख्ता को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा घटना का 48 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त मृतक का भाई बबलू पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम पिंडौरा जहांगीरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली व उसके साथी रविन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम पिंडौरा थाना झिंझाना जनपद शामली को रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त बिजली की प्लास्टिक की डोरी, मृतक संजय के कपडे तथा घटना में प्रयुक्त वाहन एवं 02 मोबाइल फोन बरामद किये गये है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः-

दिनांक 06.01.2021 को मृतक संजय की अपने पिता पदम सिंह के साथ काम को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें मृतक संजय द्वारा क्रोधित होकर अपने पिता पदम सिंह के सिर पर फावडे की मूंद मार दी थी, जिससे पदम सिंह की मृत्यु हो गई थी तथा पदम सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में बिना पुलिस को जानकारी दिए शव का अन्तिम संस्कार कर दिया था। इसी कारण अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से मृतक संजय के भाई बबलू द्वारा अपने साथी रविन्द्र व रिश्तेदार लोकेन्द्र, दीपू के साथ मिलकर दिनांक 09.01.2021 की रात्रि में मृतक संजय को घर से ले जाकर जंगल ग्राम भाटू थाना गढीपुख्ता के ईख के खेत में बिजली की प्लास्टिक की डोरी से संजय की गला घोटकर हत्या कारित कर दी थी तथा शव को छिपाकर मौके से फरार

हो गये थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में मृतक पदम सिंह की मृत्यु का बदला लेने के लिए संजय की गला घोटकर मृत्यु कारित करने की स्वीकारोक्ति की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के 02 साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित कराई जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- बबलू पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम पिंडौरा जहांगीरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- रविन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम पिंडौरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्तः-

1- लोकेन्द्र पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम ऊदपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- दीपू पुत्र राजकुमार निवासी गौसगढ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- घटना में प्रयुक्त बिजली की प्लास्टिक की डोरी।

2- मृतक संजय के कपड़े।

3- घटना में प्रयक्त वाहन आर्टिका नंम्बर UK08AD/1274।

4- घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
4. हे0का0 नरेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
5. का0 आशीष कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 345 ग्राम अवैध चरस एवं तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर ग्राम खेड़ीकरमू से 345 ग्राम अवैध चरस व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विपिन पुत्र जयकृत निवासी खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध चरस 345 ग्राम।

2. तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल यमहा R-15 नम्बर UP19L-4592

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री श्री जयकिशोर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2- का0 मयूर यादव थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3- का0 सोहित चिकारा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>**थाना कैराना**</u>

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर गिरफ्तार।</u>

आज दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के द्वारा जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा जिलाबदर किये गये अभियुक्त विकल सिंह पुत्र विजय पाल को सत्यापन की कार्यवाही में घर पर ही निवास करते हुए पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गये अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त-</u>

1. विकल सिंह पुत्र विजय पाल उर्फ बेजल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास -</u>

1. मु0अ0सं0 263/2018 धारा 147,323,332,171D,333,427 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 15/2021 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 पीयुष चौधरी थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 कौशेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना</u>

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, 40 लीटर लहन एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद।</u>

दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अवैध शराब की बरामदगी, अवैध निर्माण एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर अहमदगढ में अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी करते हुए 01 अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं निर्माण में प्रयुक्त उपकरण के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके पर मिले 40 लीटर लहन एवं भट्टी को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.गोपाल पुत्र कन्हैया बावरिया निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. अवैध कच्ची शराब 20 लीटर।
2. कच्ची शराब बनाने के उपकरण (02 बड़े पतीले एल्यूमीनियम, 01 मिट्टी का घडा, 01 पाईप प्लास्टिक)।
3.नष्ट कराया गया 40 लीटर लहन एवं भट्टी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. हे0का0 विरेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली
4. का0 पंकज शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली
5. का0 दीपांशु गुप्ता थाना झिंझाना जनपद शामली
6.का0 आलोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम दरगाह पुर से हुई हैरो की चोरी का 24 घण्टे के भीतर किया सफल अनावरण, 04 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का हेरो,अवैध हथियार व परिवहन में प्रयुक्त घोडा गाड़ी बरामद।

दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर दरगाहपुर से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 24 घण्टे के भीतर सफल अनावरण करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जिनके कब्जे से चोरी का हैरो, 02 अवैध चाकू व परिवहन में प्रयुक्त घोडा गाडी बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.01.2021 को थाना झिंझाना पर वादी श्री फरीद अख्तर पुत्र नफीस अख्तर निवासी मौहल्ला हौशंगपुर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा दिनांक 10.01.2021 की रात्रि वादी के खेत से ट्रेक्टर की हैरो को चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया था। चोरी की उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी कैराना व प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. गुरूनाम पुत्र रमेश ग्राम सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. वसीम पुत्र लियाखत ग्राम सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. श्रवण पुत्र देशराज ग्राम सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. गौरव पुत्र देशराज निवासी ग्राम सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- एक चोरी का हैरो।

2- अवैध चाकू-02

3. परिवहन में प्रयुक्त घोडा गाडी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. हे0का0 देवेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4. का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5. का0 सोनू कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

6. का0 सनोज थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा परचून की दुकान की दीवार तोडकर चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल, नकदी, अवैध चाकू व दुकान तोडने में प्रयुक्त उपकरण बरामद।

आज दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर आदमपुर बस स्टैण्ड से परचून की दुकान में हुई चोरी के माल, नकदी, अवैध चाकू व दीवार तोडने में प्रयुक्त लोहे की रॉड सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10/11.01.2021 की रात्रि में ग्राम आदमपुर में स्थित परचून की दुकान से चोरों द्वारा दुकान में रखे सामान की चोरी करने के सम्बन्ध में श्री अंकित शर्मा पुत्र पवन शर्मा निवासी आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा थाना बाबरी पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थानाध्यक्ष बाबरी को निर्देशित किया गया था। थाना बाबरी पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। विवेचना के दौरान दुकान में चोरी करने वाले अभियुक्तगण अमित पुत्र चन्द्रपाल व अर्जुन पुत्र ओमपाल उर्फ छोटू का नाम प्रकाश में आये। अभियुक्त अर्जुन की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित कराई जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्त-

1. अर्जुन पुत्र ओमपाल उर्फ छोटू निवासी ग्राम कुडाना थाना कोतवाली शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी का माल (13 पाउच दिलबाग/कमला पसंद गुटखा, 06 पैकेट पाउडर (सर्फ) , 06 डिब्बी सिगरेट, 02 पैकेट धूपबत्ती, 02 पैकेट बिस्कुट(पापे), 01 पैकेट नटराज पैन्सिल,01 पैकेट स्केच पैन, 02 रजिस्टर, 05 डिब्बी लूडो) ।
2. नकदी 1365/- रूपये
3. अवैध चाकू-01
4. दुकान काटने में प्रयुक्त लोहे की रॉड।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम शर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री देशपाल सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।
3. हे0का0 मोती लाल थाना बाबरी जनपद शामली।

पुरुष बन्दी गृह